

## प्रेस नोट-19.10.2020

(1). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए 06 माह का महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-19.10.2020 को, श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर द्वारा मुहल्ला-हनुमानगंज कस्बा राजापुर में, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा द्वारा असावर माता मंदिर रैपुरा, श्री रमेश चन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी द्वारा मारकुण्डी में रैली निकाली गयी , श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप द्वारा ग्रास सभा बैहार में, महिला जागरूकता गोष्ठी कर महिलाओं/बालिकाओं को वूमैन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों से अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री राकेश कुमार चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजबहादुर पुत्र नत्थू निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी तथा अभियुक्त रामबहोरी पुत्र स्व0 दुर्गा केवट निवासी पडरी डिलौरा सीतापुर जनपद चित्रकूट को 15-15 लीटर कच्ची अवैध महुआ निर्मित शराब के साथ डिलौरा तिराहा सीतापुर जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

### बरामदगी:-

30 लीटर कच्ची अवैध शराब

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव चौकी सीतापुर
2. उ0नि0 श्री इन्दल यादव
3. आरक्षी शिवकुमार मिश्रा
4. आरक्षी सोनू
5. आरक्षी शिवम गुप्ता

(3). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चेकिंग अभियान में दिनांक 18.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर कोतवाली कर्वी द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह यादव थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. अनिल पटेल पुत्र चुन्नू निवासी बड़ी मडैयन 2. बिमलेश पटेल पुत्र माताबदल निवासी गोडा मडैयन 3. चन्द्रपाल पटेल पुत्र भयालाल निवासी गोडा मडैयन 4. भगवानदीन पटेल पुत्र केदार प्रसाद निवासी बरूहनी तीर रूकमा बुजुर्ग 5. कल्लू पटेल पुत्र सादीलाल निवासी तालातीर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2800/- रुपये, 52 अदद ताश के पत्ते व 1300/- रुपये जामातलाशी बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

मालफड़ 2800/- रुपये, व 1300/- रुपये जामातलाशी (कुल 4100/-रुपये)

52 अदद ताश के पत्ते

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह यादव थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी रामकेश कुश्वाहा
3. आरक्षी निर्मल कुशवाहा
4. आरक्षी अनुभव मिश्रा